न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /टीए/2770/2003/हनुमानगढ

श्रीमती संतो पत्नि श्री काशीराम जाति जाट निवासी ग्राम सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

............अपीलार्थी

बनाम

1— मनफूल पुत्र मूलाराम (फौत) के कायम मुकाम :—
1/1. मु0 शांतिदेवी पत्नि मनफूल (नाम तर्क)
1/2. ओमप्रकाश पुत्र मनफूल
1/3. साहबराम पुत्र मनफूल
1/4. अमरसिंह पुत्र मनफूल
1/5. छोटूराम पुत्र मनफूल
2— धापीदेवी जोजा श्योलाल
3— मोहनलाल पुत्र हरदयाल
4— दलीपचन्द पुत्र सहीराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

.... प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
कमला अलारिया, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री एस.पी.सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शशिकांत जोशी, अभिभाषक प्रत्यर्थी सं.1

दिनांक 27—06—2025

निर्णय

1— यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16—5—03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया अपीलांट ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी नोहर के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 19 मिन रकबा 25 बीघा का काबिज खातेदार काश्तकार पूरण पुत्र नथूराम जाट था। जिसने अपना पूर्वी हिस्सा रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वादीया संतो को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3—3—67 के द्वारा बैचान कर कब्जा संभला दिया। शेष पश्चिमी हिस्सा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीया सं.1 धापी देवी को बेचान कर दिया। इस प्रकार वादीया अपीलार्थी अपनी क्रय की गई आराजी पर काबिजकाश्त चली आ रही है। वादीया अपीलांट द्वारा क्रय की गई भूमि का हाल खसरा नंबर 102 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा एवं 36 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल भूमि 12 बीघा 10 बिस्वा में परिवर्तन हुई तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादी सं.1 धापी देवी की भूमि के हाल खसरा नंबर 36 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नंबर 37 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा कुल तादादी रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में परविर्तित हुई तथा शेष भूमि प्रतिवादी सं.2 से 4 की खातेदारी में परिवर्तित हुई। किंतु भू प्रबंध विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादीया अपीलांट संतो की भूमि प्रतिवादिया सं.1 मु0 धापी देवी के नाम दर्ज कर दी एवं प्रतिवादी सं.1 धापी की भूमि प्रतिवादी सं.2 मोहनलाल के नाम एवं मोहनलाल की आराजी प्रतिवादी सं.4 मनफूल के नाम दर्ज कर दी। न्यायालय उपखंड अधिकारी नोहर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 15—7—02 द्वारा वादी अपीलार्थी का दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया।

3— परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 15—7—02 के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16—5—03 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15—7—02 निरस्त करते हुये प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि वादीया अपीलांट ने विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है तथा क्रयशुदा आराजी में वर्णित आराजी को अपने गवाहन एवं साक्ष्य से साबित कराया है। विवादित आराजी भू प्रबंध विभाग ने मिलान क्षेत्रफल बनाते वक्त प्रतिवादी धापी देवी के नाम बिना किसी क्षेत्राधिकार के दर्ज कर दी। विचारण

न्यायालय द्वारा कायम तनकी सं.1 को वादीया अपीलांट द्वारा साबित किया गया था किंतु अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं.1 के अलावा अन्य तनकीयात का निर्णय नहीं करने की स्थिति में बेवजह प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया। जबकि कायम की गई अन्य तनकीयात, तनकी सं.1 से ही सम्बंधित थी। ऐसी स्थिति में अन्य तनकीयात पर निर्णय किया जाना आवश्यक नहीं था। तनकी सं.4 व 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। परंतु उन्होंने कोई भी राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाहीं के आदेश दिये थे जिसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई। प्रतिवादी सं.1 से 3 ने विचारण न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दी है। प्रत्यर्थी सं.4 मनफूल ने ही प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विवेचन के पश्चात आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये निर्णय व डिक्री पारीत की है, किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा मात्र एक तनकी का निर्णय किया जाना एंव शेष तनकियों पर निष्कर्ष अंकित नहीं किया जाना अंकित करते हुये संक्षिप्त निर्णय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित (Remand) कर दिया। उनका यह भी कथन है कि यदि विचारण न्यायालय के द्वारा शेष तनकियों पर कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया था तो उनके समक्ष रिकार्ड एवं साक्ष्य के साथ सम्यक् सामग्री उपलब्ध होने से आदेश 41 नियम 24 के तहत प्रकरण को रिमाण्ड करने के स्थान पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

5— उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि परीक्षण न्यायालय ने वाद में छः तनकीयात कायम की थी परंतु केवल मात्र तनकी नंबर 1 का निर्णय करके वाद डिक्री कर दिया। अन्य तनकीयात पर कोई निर्णय पारित नहीं किया। विवादित भूमि खसरा नंबर 19 की 2.16 बीघा भूमि प्रत्यर्थी सं.1 की पुरानी खातेदारी की है जो जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 प्रदर्श—डी—1 व मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी—2 से साबित था परंतु विचारण न्यायालय ने उक्त देस्तावेजों की कोई जांच नहीं की। विचारण न्यायालय ने वाद साक्ष्यों से साबित नहीं होने पर भी विधि विरूद्ध डिक्री किया है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दृष्ट्व्य विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नहीं होने के कारण द्वितीय अपील

के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीया अपीलार्थी द्वारा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी नोहर के समक्ष प्रस्तुत कर भू प्रबंध विभाग द्वारा वादीया अपीलांट संतो की भूमि प्रतिवादिया सं.1 मु0 धापी देवी के नाम दर्ज करने पर पुनः उनके नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी नोहर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 15—7—02 द्वारा वादी अपीलार्थी का दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्व प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ रिमाण्ड कर दिया। जिसके विरूद्व यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को प्रतिप्रेषित करने का मुख्य आधार यह लिया है कि विचारण न्यायालय ने मात्र एक तनकी पर ही निर्णय पारित किया है अन्य तनकीयों के सम्बंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया, जबकि प्रत्येक तनकी पर अलग अलग विवेचन करते हुये निष्कर्ष देना चाहिये था। विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में मुख्य तनकी, तनकी सं.1 थी तथा अन्य तनकियां, तनकी सं.1 के निर्णय पर निर्भर थी। विचारण न्यायालय द्वारा मुख्य तनकी सं.1 का निर्णय वादी अपीलार्थी के पक्ष में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं गवाह/साक्ष्य के आधार पर किया है तथा तनकी सं.1 के निर्णय के पश्चात् अन्य तनकियां महत्वपूर्ण नहीं होने से उन पर निष्कर्ष अंकित नहीं किया। तनकी सं.4 व 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था जिन्होंने अपनी साक्ष्य एवं गवाह/रिकार्ड प्रस्तुत किये थे। अपीलीय न्यायालय द्वारा जब यह मान लिया गया था कि विचारण न्यायालय ने शेष तनकी पर निर्णय नहीं किया तो उनके समक्ष अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड एवं साक्ष्य के साथ सम्यक् सामग्री उपलब्ध थी ऐसे में आदेश 41 नियम 24 के तहत प्रकरण को रिमाण्ड करने के स्थान पर शेष तनकियों का निस्तारण करते हुये अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

8— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह मत है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमागनढ का निर्णय दिनांक 16—5—03 विधिक रूप से त्रुटिग्रस्त है क्योंकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष समुचित साक्ष्य व रिकार्ड उपलब्ध होने के उपरांत भी गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के

बजाय प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अनावश्यक रूप से प्रकरण को रिमाण्ड नहीं करना चाहिये। अतः अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सारांशतः हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक रूपसे स्वीकार किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 16—5—03 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उनके समक्ष उपलब्ध समुचित रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर आदेश 41 नियम 24 के तहत प्रथम अपील का निस्तारण उभय पक्ष को सुनकर गुणावगुण पर करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(कमला अलारिया)
सदस्य